संख्या-11/2024/216ई-2/तेरह-2024-1145672

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 07 मार्च, 2024

विषयः-आबकारी राजस्व बकाये की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-104/आठ-18ए/राजस्व बकाया/2023-24, दिनांक 11-12-2023 एवं पत्र संख्या:जी-115/आठ-18ए/राजस्व बकाया/2023-24, दिनांक 01-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त पत्रों के माध्यम से आप द्वारा अवगत करायी गयी स्थितिनुसार दिनांक 31-03-2018 तक प्रदेश के 65 जनपदों में कुल 1759 मूल प्रकरण वसूली हेतु लंबित हैं जिसमें कुल धनराशि रू.43,71,59,703/- (रुपये तैंतालिस करोड़ इकहत्तर लाख उनसठ हजार सात सौ तीन मात्र) की वसूली की जानी अपेक्षित है। कुल 96 प्रकरणों में रू.1,30,73,189/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ नवासी मात्र) दण्डक ब्याज के रूप में बकाये की वसूली हेतु अवशेष हैं तथा 106 प्रकरणों में कुल धनराशि रू.2,15,68,991/- (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार नौ सौ इक्यान्नवे मात्र) की पूर्ण धनराशि जमा करायी जा चुकी है। इस बकाया धनराशि में बकाये की ऐसी धनराशि भी सम्मिलित है जिसके सम्बन्ध में बकायेदार द्वारा मा. न्यायलयों में वाद योजित किये गये हैं, साथ ही साथ जनपदों द्वारा राजस्व परित्यजन हेतु चिन्हित धनराशि भी उक्त धनराशि में सम्मिलित है।

3. आबकारी विभाग के पुराने राजस्व बकायों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

उद्देश्य

1. एकमुश्त समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आबकारी विभाग के पुराने बकाये की धनराशि की वसूली हो सके और राज्य सरकार को यह धनराशि प्राप्त हो सके।

2. ऐसे बकायेदारों जिनका बकाया मूलधन तथा उस पर आगणित ब्याज की धनराशि काफी अधिक हो गयी है, जिसके कारण वह बकाये का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, को ब्याज के भुगतान में एकमुश्त राहत प्रदान करते हुये उन्हें बकाये की मूल धनराशि एवं बकाये ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने पर बकाये से मुक्ति पाने का अवसर उपलब्ध हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पात्रता

इस योजनान्र्तगत ऐसे बकायेदार पात्र होगें जो **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** से सहमत हैं तथा निर्धारित प्रारूप पर उनके द्वारा आवेदन किया गया हो। इस योजना के अन्तर्गत:-

1. ऐसे सभी देशी/विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर अनुज्ञापनों से सम्बन्धित बकायेदार सम्मिलित होंगे जिनका आबकारी राजस्व बकाया दिनांक 31-03-2018 अथवा उसके पूर्व उत्पन्न हुआ हो।

2. ऐसे बकायेदार सम्मिलित होंगे जिनके पक्ष में व्यवस्थापन के उपरान्त उनके द्वारा जमा करायी जाने वाली बिडमनी/वृक्षकर की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करायी गयी हो जिसके कारण बकाया उत्पन्न हो गया हो।

(**बिडमनी/वृक्षकर का स्पष्टीकरण**: बिडमनी का आशय भॉग की फुटकर दुकान की नीलामी के द्वारा फुटकर बिक्री का एकान्तिक विशेषाधिकार लाईसेंस दिए जाने के प्रतिफल से है, जिसमें लाईसेंस फीस एवं बेसिक लाईसेंस फीस समाविष्ट होगी। वृक्षकर का आशय ताड़ी और खजूर के छेये गये वृक्षों पर टैक्स तथा विक्रय के विशेषाधिकार के लिए विक्रेता द्वारा भुगतान किए गये वृक्ष अधिभार या विक्रय फीस से है।)

3. ऐसे बकायेदार सम्मिलित होंगे, जिनके पक्ष में अनुज्ञापन स्वीकृत कर दिया गया हो एवं अनुज्ञापी द्वारा कुछ समय दुकान का संचालन किया गया हो किन्तु किन्हीं कारणों से मध्य सत्र में दुकान छोड़ दिये जाने के कारण बकाया उत्पन्न हो गया हो।

4. ऐसे सभी बकायेदार सम्मिलित होंगे, जिनके द्वारा निर्धारित मासिक कोटा (एम.जी.क्यू.) से कम/अधिक कोटा उठाने पर बकाया उत्पन्न हो गया हो।

5. ऐसे सभी बकायेदार भी सम्मिलित होंगे, जिनका अनुज्ञापन निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप बकाया उत्पन्न हो गया है।

6. ऐसे उपरोक्त सभी बकायेदारों पर भी लागू होगी जिनके द्वारा मूलधन का पूरा भुगतान पूर्व में कर दिया गया है परन्तु ब्याज अंशतः या पूर्णतः भुगतान हेतु शेष है।

7. ऐसे सभी देशी/विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर अनुज्ञापनों से सम्बन्धित बकायेदार जिनके द्वारा बकाया धनराशि/आर.सी. के विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है अथवा स्थगनादेश लिया गया है परन्तु यदि उनके द्वारा न्यायालय वाद को वापस लिये जाने का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसे बकायेदार भी **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

अपात्रता

गबन, धोखाधड़ी के मामले तथा वित्तीय दुराशय के कारण उत्पन्न हुए बकायों के प्रकरण एकमुश्त समाधान योजना से अच्छादित नहीं होंगे।

अनुमन्य राहत

1. देशी/विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर बकायेदार जिन पर बकाया मूलधन तथा उस पर आगणित ब्याज की धनराशि काफी अधिक हो गयी है, को बकाया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मूलधन एवं अद्यतन आगणित ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त समझौता के अन्तर्गत देनदारी मानी जायेगी तथा आगणित ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि को माफ कर दिया जायेगा।

2. ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा मूलधन की पूरी धनराशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तथा उन पर ब्याज की धनराशि आंशिक/पूर्णतः भुगतान हेतु शेष है। ऐसे बकायेदारों के मामलों में ब्याज की अद्यतन गणना करते हुये देय ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि जमा की जायेगी तथा 50 प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमन्य की जायेगी।

3. यदि किसी बकायेदार द्वारा पूर्व में ही समस्त मूलधन एवं 50 प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा करायी जा चुकी है तो ऐसे बकायों की वसूली इस योजना अन्तर्गत पूर्ण मानी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बकायेदार द्वारा इस योजना के लागू होने से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, ऐसी दशा में पूर्व में जमा किये गये ब्याज की वापसी नहीं होगी।

<u>एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत बकाया धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया</u>

"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24" का लाभ लेने हेतु बकायेदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बकाया मूलधन एवं ब्याज की उपरोक्तानुसार गणना करते हुए सहमति पत्र बकायेदार को निर्गत किया जायेगा। सहमति पत्र के निर्गत होने के 30 दिनों के अन्तर्गत कुल आगणित धनराशि की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि बकायेदार द्वारा जमा करायी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि सहमति पत्र की तिथि से 60 दिनों के अन्दर जमा करा दी जायेगी। यदि बकायेदार चाहे तो प्रथम किस्त में ही मूलधन एवं मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि का भुगतान एकमुश्त कर सकता है।

<u>समझौते का उल्लंघन</u>

समझौते की शर्त के अनुसार प्रथम किस्त के प्रतिदान या दूसरी किस्त के प्रतिदान में चूक होने की दशा में समझौता रद्द माना जायेगा और समझौते के अनुसार अनुमन्य छूट समाप्त हो जायेगी और जो धनराशि एकमुश्त समझौते में प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गयी है उसको बकाया धनराशि के मूलधन/ब्याज में समायोजित कर दिया जायेगा।

<u>एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत स्वीकृति का अधिकार</u>

इस योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन की अध्यक्षता में गठित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार (सदस्य) एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी (सदस्य सचिव) की समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

<u>अन्य बिन्दु</u>

1. बकाये के ऐसे मामले जिनमें बकाया धनराशि की वसूली हेतु आर.सी. निर्गत की जा चुकी है एवं वसूली प्रक्रियाधीन है, के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2016 प्रख्यापित होने के दिनांक 10.02.2016 के उपरान्त निर्गत आर.सी. पर संग्रह प्रभार 05 प्रतिशत एवं उसके पूर्व निर्गत आर.सी. पर संग्रह प्रभार 10 प्रतिशत लिये जाने की व्यवस्था है। अत: "एकमुश्त समाधान योजना 2023-24" में जो धनराशि आबकारी विभाग को प्राप्त होगी, आर.सी. के सापेक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरोक्तानुसार धनराशि राजस्व विभाग को देय होगी। यह कार्यवाही केन्द्रीकृत रूप से आबकारी आयुक्त, उ.प्र. के स्तर से सुनिश्चित करायी जायेगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत निर्णित प्रकरणों को किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण आदि में पुनः चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

3. इस योजना अन्तर्गत जिन अनुज्ञापियों द्वारा मूलधन एवं 50 प्रतिशत से अधिक ब्याज की कोई धनराशि इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व जमा करायी जा चुकी है, वापस नहीं की जायेगी।

4. इस योजना के अन्तर्गत जमा करायी गयी राशि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

5. जिन प्रकरणों में सम्पूर्ण धनराशि एवं उसका ब्याज पूर्व में ही जमा कराया जा चुका है उन्हें पुनः विचार करने हेतु उद्घाटित नहीं किया जायेगा।

6. पूर्व में आंशिक रूप से जमा करायी गयी धनराशियॉ पूर्व की देयताओं के विरूद्ध मानी जायेगी एवं शेष बकाया राशि पर ही यह योजना लागू होगी।

7. यह योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 12 माह तक प्रभावी रहेगी।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** को प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने एवं तदनुसार हुयी प्रगति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**दिव्य प्रकाश गिरि**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।